



दिनांक 25/05/2026

पत्रांक
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "पहली बार पानी भरते ही जल जीवन मिशन की टंकी हो गई क्षतिग्रस्त" के संदर्भ में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "पहली बार पानी भरते ही जल जीवन मिशन की टंकी हो गई क्षतिग्रस्त" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- बीकापुर में पुहँपी एवं खेवली पेयजल योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार समस्त कार्य पूर्ण करते हुए दिनांक 19.10.2024 से ट्रायन रन प्रारम्भ कर 20 जनवरी, 2025 को पूर्ण किया गया।

पुहँपी एवं खेवली पेयजल योजना		
क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	प्रगति
1.	ट्यूबवेल	1 नग पूर्ण।
2.	पम्पिंग प्लान्ट	1 नग पूर्ण।
3.	सोलर प्लान्ट	1 नग पूर्ण।
4.	शिरोपरि जलाशय	1 नग(250 किली०/14 मी०)
5.	वितरण प्रणाली	22.26 किमी० पूर्ण
6.	पम्पहाउस	1 नग पूर्ण।
7.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग पूर्ण।
8.	गृह जल संयोजन	876 नग

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 250 किली० क्षमता 14 मी० स्टेजिंग के जिंक-एलम शिरोपरि जलाशय का हाईड्रो टेस्टिंग दिनांक 23.11.2024 से 01.12.2024 तक सफलता पूर्वक कराया गया। योजना में नियमित संचालन एवं रख-रखाव का कार्य दिनांक 01.02.2025 से प्रारम्भ किया गया। दिनांक 09 एवं 10 मई, 2026 को फर्म द्वारा टंकी नियमित सफाई कार्य कराये जाने के उपरान्त टैंक में पुनः पानी भरने के दौरान रिसाव दिखाई पड़ा। जिसके सम्बन्ध में जांच किये जाने पर लाइनर क्षतिग्रस्त पाया गया। तत्पश्चात एहतियात एवं मरम्मत कार्य हेतु फर्म द्वारा दिनांक 13.05.2026 को जिंक-एलम टैंक को क्षतिग्रस्त लाइनर सहित खोलकर नीचे उतरवाया गया है। ओएचटी की आरसीसी संरचना पूर्णतः सुरक्षित एवं यथावत है।

वर्तमान में उपभोक्ताओं को डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित एवं सुरक्षित क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नई लाइनर प्राप्त होने के उपरान्त समस्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए टैंक को पुनः स्थापित कर संचालित किया जाएगा।

अतः समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "पहली बार पानी भरते ही जल जीवन मिशन की टंकी हो गई क्षतिग्रस्त" असत्य एवं भ्रामक है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

25/05/2026

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
5. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
6. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत पेयजल योजना में शिरोपरि जलाशय को तत्काल अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता